संख्या- 52 /2026 / 440 /चार-2026-1825759

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2026**

विषय:- महापुरूष वीर लोरिक जी के सम्मान में राजस्व ग्राम हसनपुरा, पोस्ट- बिसौली, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में सभागार एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1036/सं0नि0-6(03)/2024-25 दिनांक 11 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या- 1154/चार-2025-1911175 दिनांक 04 जून, 2025 द्वारा अप्रेजल समिति की दिनांक 25.03.2025 को बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में महापुरूष वीर लोरिक जी के सम्मान में राजस्व ग्राम हसनपुरा, पोस्ट- बिसौली, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में सभागार एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने हेतु रू0 497.46 लाख का संशोधित आगणन उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि महापुरूष वीर लोरिक जी के सम्मान में राजस्व ग्राम हसनपुरा, पोस्ट- बिसौली, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में सभागार एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में दिनांक 30.07.2025 को आहूत अप्रेजल समिति की बैठक में प्रस्तुत संशोधित आगणन रू0 497.45 लाख पर संस्तुति की गयी है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये हैं कि विस्तृत वर्किंग ड्राइंग उपलब्ध करायी जाये एवं निर्देशानुसार डिटेलिंग सम्मिलित की जाये। शासन के पत्र संख्या-2793/चार-2025-1825759 दिनांक 06 फरवरी, 2026 द्वारा परियोजना हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 के स्थान पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् (यू0पी0ए0वी0पी0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महापुरूष वीर लोरिक जी के सम्मान में राजस्व ग्राम हसनपुरा, पोस्ट- बिसौली, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में सभागार एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने हेतु **रू0 497.45 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 136.95 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख पिचानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय का होगा।

(7) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(10) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

(13) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(14) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,36,95,000.00 (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख पिचानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, बलिया।
4. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड वाराणसी-3
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।